फाइल नं0-71-3002(002)/12/2022-03

103/2026/I/1284335/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्साप शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/687, दिनांक 18.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 45,50,00,000/- (रूपये पैतालीस करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग प्रधानाचार्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(4) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050349 मेडिकल कालेज, हरदोई	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050351 मेडिकल कालेज, फतेहपुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
	कुल			**8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050354 मेडिकल कालेज, गाजीपुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
	कुल			**6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050355 (मेडिकल कालेज, मीरजापुर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050355 मेडिकल कालेज, मीरजापुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050384 (मेडिकल कालेज, बहराइच)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050384 मेडिकल कालेज, बहराइच	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
	कुल			**4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050393 (फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050393 फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	18,00,00,000 (रुपये अठारह करोड़ मात्र)
	कुल			**18,00,00,000 (रुपये अठारह करोड़ मात्र)**

महायोग	45,50,00,000 (रुपये पैंतालीस करोड़ पचास लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-उपरोक्त, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, मीरजापुर, बहराईच, पीलीभीत, ललितपुर, कुशीनगर, अमेठी, कौशाम्बी तथा सुल्तानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, मीरजापुर, बहराईच, पीलीभीत, ललितपुर, कुशीनगर, अमेठी, कौशाम्बी तथा सुल्तानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, हरदोई, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, मीरजापुर, बहराईच, पीलीभीत, ललितपुर, कुशीनगर, अमेठी, कौशाम्बी तथा सुल्तानपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।